



कार्यालय संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन

खेल परिसर 74 बंगला, भोपाल (मध्यप्रदेश)

Email-mpbamboomission@mp.gov.in, Phone: 0755-2555524, 20; 0755-2674341, Fax-0755-2555523

आदेश क्रमांक/बांस मिशन/2018/18

भोपाल, दिनांक : 25-08-2018

// आदेश //

विषय:- निजी सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) की स्थापना तथा इन केन्द्रों में बांस के बाजार की मांग के अनुरूप नये उत्पादों की शृंखला विकसित कर उन उत्पादों के लिए मार्केटिंग नेटवर्क तैयार करने बाबत।

निजी सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं-

- 1) उद्देश्य:- सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना का उद्देश्य आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अच्छी गुणवत्ता का बांस शिल्प उत्पादन करवाना, निरंतर डिजाइन व तकनीकी मार्गदर्शन की व्यवस्था, प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन के लिये मार्गदर्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करवा कर शिल्पियों की लाभ की मार्जिन बढ़ाना है। आदेश मिलने पर निर्धारित समय में उत्पादन करवा कर समय पर गुणवत्तापूर्ण शिल्प की डिलवरी दी जा सकती है।
- 2) लाभ:-सामान्य सुविधा केन्द्र से उन शिल्पियों/कारीगरों को लाभ मिलता है जिन के घर पर काम करने की जगह व उत्पादन के लिये अधोसंरचना नहीं है। ऐसे शिल्पी सामान्य सुविधा केन्द्र में बैठकर शिल्प उत्पादन कर सकते हैं।
- 3) अनुदान के लिए पात्रता:-
 1. प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन, शीर्ष सहकारी संस्थाएँ, ट्रस्ट
 2. स्व-सहायता समूह
 3. निजी उद्यमी, डिजाइनर, मास्टर शिल्पी
 4. कंपनी एक्ट की धार 25 में पंजीकृत संगठन/संस्थाएँ
- 4) सामान्य सुविधा केन्द्र बांस उत्पादन क्षेत्रों तथा बांस शिल्पियों के क्लस्टर के पास होना चाहिए जिससे शिल्पीगण रोजाना वहाँ आकर शिल्प उत्पादन करें व उन्हें स्थानीय रूप से कच्चा माल भी उपलब्ध हो। कृषकों के बांस को भी स्थानीय बाजार उपलब्ध हो जाए।
- 5) राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना में स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त कोई अन्य राशि राज्य बांस मिशन द्वारा नहीं दी जायेगी। पात्र संस्था/शिल्पी द्वारा ही जमीन, भवन, पानी, बिजली, शौचालय की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की जायेगी। सामान्य सुविधा केन्द्र संचालन के लिये किसी आवर्ती व्यय के लिये अनुदान या प्रतिपूर्ति की योजना नहीं है। अतः गतिविधियों के संचालन द्वारा इस केन्द्र को अपने आवर्ती व्यय की व्यवस्था करनी होगी।
- 6) बांस शिल्प के एक क्लस्टर में एक ही सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

- 7) इकाई के लिये आवश्यक मशीनों का प्रोक्योरमेंट उद्यमी को स्वयं करना होगा। मशीनों की क्षमता, दक्षता तथा उसकी इकोनामिक वायबिलिटी का विश्लेषण मिशन द्वारा किया जायेगा। मिशन द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर संतुष्ट हो जाने के बाद संबंधित इकाई की स्थापना पश्चात् राष्ट्रीय बांस मिशन की योजना के अनुरूप व केन्द्र/राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा में सब्सिडी प्रदाय की जायेगी। विभिन्न स्रोतों से मशीनों के स्पेशिफिकेशन्स व मूल्य की जानकारी लेकर सब्सिडी की राशि तय कर दी जावेगी।

राज्य स्तरीय तकनीकी सलाहकार समूह
की अनुशंसा पर कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित।

(बी.बी.सिंह)

संचालक, राज्य बांस मिशन

म.प्र. भोपाल

पृष्ठा.क्र./बांस मिशन/2018/839
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 25-08-2018

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अनु.विस्तार एवं लो.वा.), म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. समस्त मुख्य वनसंरक्षक (क्षे0), वनवृत्त मध्यप्रदेश।
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षे0), वनमंडल मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. आदेश नस्ती।

संचालक, राज्य बांस मिशन

म.प्र. भोपाल